

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 53  
गृह मंत्रालय (चंडीगढ़)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4471.62	468.68	4940.30	4843.46	539.33	5382.79	5306.65	472.47	5779.12	5365.07	722.03	6087.10
वसूलियां	-403.85	-103.37	-507.22	-416.00	-120.00	-536.00	-528.00	-120.00	-648.00	-531.00	-120.00	-651.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>4067.77</b>	<b>365.31</b>	<b>4433.08</b>	<b>4427.46</b>	<b>419.33</b>	<b>4846.79</b>	<b>4778.65</b>	<b>352.47</b>	<b>5131.12</b>	<b>4834.07</b>	<b>602.03</b>	<b>5436.10</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	23.13	...	23.13	23.96	...	23.96	28.55	...	28.55	26.87	...	26.87
2. अन्य स्थापना	2742.36	...	2742.36	2958.41	...	2958.41	3448.66	...	3448.66	3350.29	...	3350.29
	-395.21	...	-395.21	-400.00	...	-400.00	-510.00	...	-510.00	-510.00	...	-510.00
<i>निवल</i>	<i>2347.15</i>	<i>...</i>	<i>2347.15</i>	<i>2558.41</i>	<i>...</i>	<i>2558.41</i>	<i>2938.66</i>	<i>...</i>	<i>2938.66</i>	<i>2840.29</i>	<i>...</i>	<i>2840.29</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>2370.28</b>	<b>...</b>	<b>2370.28</b>	<b>2582.37</b>	<b>...</b>	<b>2582.37</b>	<b>2967.21</b>	<b>...</b>	<b>2967.21</b>	<b>2867.16</b>	<b>...</b>	<b>2867.16</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 पुलिस आवासीय और संबद्ध निर्माण कार्य	...	103.88	103.88	...	93.23	93.23	...	94.01	94.01	...	94.82	94.82
3.02 विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा	785.54	26.73	812.27	860.33	85.58	945.91	804.63	30.39	835.02	839.70	31.55	871.25
	-2.10	...	-2.10	-12.50	...	-12.50	-10.00	...	-10.00	-12.50	...	-12.50
<i>निवल</i>	<i>783.44</i>	<i>26.73</i>	<i>810.17</i>	<i>847.83</i>	<i>85.58</i>	<i>933.41</i>	<i>794.63</i>	<i>30.39</i>	<i>825.02</i>	<i>827.20</i>	<i>31.55</i>	<i>858.75</i>
3.03 वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण	35.29	2.63	37.92	35.27	2.43	37.70	30.61	2.63	33.24	33.95	2.34	36.29
3.04 स्वास्थ्य सेवाएं	...	46.10	46.10	...	67.79	67.79	...	59.46	59.46	...	69.52	69.52
3.05 शिक्षा	2.79	34.08	36.87	2.11	70.22	72.33	2.11	61.80	63.91	2.11	110.28	112.39
3.06 महिला और बाल कल्याण	26.50	2.34	28.84	24.74	2.78	27.52	23.78	13.88	37.66	24.14	14.99	39.13
3.07 कला, संस्कृति और संग्रहालय	0.27	0.46	0.73	2.00	0.45	2.45	2.00	1.50	3.50	1.98	2.07	4.05
3.08 खादी और ग्रामीण उद्योग	0.41	...	0.41	0.54	...	0.54	0.96	...	0.96	15.00	...	15.00
3.09 सड़क और परिवहन	11.37	8.48	19.85	1.92	45.44	47.36	5.18	29.61	34.79	7.10	68.45	75.55
3.10 सरकारी आवासन	...	11.27	11.27	...	15.39	15.39	...	13.57	13.57	...	15.83	15.83

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.11 शहरी विकास	...	218.17	218.17	...	113.04	113.04	...	133.16	133.16	...	221.63	221.63
	...	-103.37	-103.37	...	-120.00	-120.00	...	-120.00	-120.00	...	-120.00	-120.00
<i>निवल</i>	...	114.80	114.80	...	-6.96	-6.96	...	13.16	13.16	...	101.63	101.63
3.12 दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण	20.14	1.43	21.57	18.49	3.94	22.43	18.95	...	18.95	18.84	0.50	19.34
3.13 अन्य योजनाएं	53.97	13.11	67.08	54.33	39.04	93.37	55.78	32.46	88.24	42.25	90.05	132.30
	-6.54	...	-6.54	-3.50	...	-3.50	-8.00	...	-8.00	-8.50	...	-8.50
<i>निवल</i>	47.43	13.11	60.54	50.83	39.04	89.87	47.78	32.46	80.24	33.75	90.05	123.80
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं</i>	927.64	365.31	1292.95	983.73	419.33	1403.06	926.00	352.47	1278.47	964.07	602.03	1566.10
4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्र का पूरक	9.81	...	9.81	17.00	...	17.00	14.00	...	14.00	15.00	...	15.00
5. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	760.04	...	760.04	844.36	...	844.36	871.44	...	871.44	987.84	...	987.84
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1697.49</b>	<b>365.31</b>	<b>2062.80</b>	<b>1845.09</b>	<b>419.33</b>	<b>2264.42</b>	<b>1811.44</b>	<b>352.47</b>	<b>2163.91</b>	<b>1966.91</b>	<b>602.03</b>	<b>2568.94</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1697.49</b>	<b>365.31</b>	<b>2062.80</b>	<b>1845.09</b>	<b>419.33</b>	<b>2264.42</b>	<b>1811.44</b>	<b>352.47</b>	<b>2163.91</b>	<b>1966.91</b>	<b>602.03</b>	<b>2568.94</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4067.77</b>	<b>365.31</b>	<b>4433.08</b>	<b>4427.46</b>	<b>419.33</b>	<b>4846.79</b>	<b>4778.65</b>	<b>352.47</b>	<b>5131.12</b>	<b>4834.07</b>	<b>602.03</b>	<b>5436.10</b>

1. **सचिवालय:** इसमें चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का कार्यालय व्यय शामिल है अर्थात् न्यायपालिका, उत्पादन शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण, पुलिस, परिवहन प्राधिकरण, कोषागार एवं लेखा, जेल, सतर्कता, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग विभाग, आतिथ्य, होम गार्ड, शिक्षा, खेल, संग्रहालय, पुस्तकालय, एवं कला, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सम्पदा कार्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक कल्याण, श्रम एवं रोजगार, कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी, वन एवं वन्य जीव, सहकारिता, ग्रामीण विकास, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आर्थिक सेवाएं, पर्यटन, सांख्यिकी, खाद्य एवं आपूर्ति आदि।

3.01. **पुलिस आवासीय और संबद्ध निर्माण कार्य:** इसमें पुलिस आवास और संबद्ध कार्यों अर्थात् अवसंरचना का विकास और भवन निर्माण, मौजूदा रिहायशी आवासों के नवीकरण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा:** इसमें विद्युत के पारेषण एवं वितरण, ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों, मोडल सोलर सिटी प्रोग्राम के संवर्धन तथा विद्युत विभाग के निर्माण कार्य के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वानिकी एवं वन्य जीव, वन संरक्षण एवं विकास, पौधारोपण योजना, संचार और भवन, वन्य जीव परिरक्षण, वानिकी के लिए भूमि के अधिग्रहण, बोटनिकल गार्डन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **स्वास्थ्य सेवाएं:** इसमें स्वास्थ्य सेवाओं, 50 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन करके इसे 250 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में बनाने, 50 बिस्तर वाले पालीक्लीनिक चंडीगढ़ के सुदृढीकरण, ग्रामीण सहायक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढीकरण, शहरी सहायक

स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सुदृढीकरण, अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, आयुष होम्योपैथी एवं आयुर्वेद, क्षेत्रीय ट्रॉमा सेंटर के निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बौद्धिक निराश्रितों के लिए सरकारी पुनर्वास संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **शिक्षा:** इसमें उपकरणों के आधुनिकीकरण और खरीद, एनसीसी के लिए अवसंरचना के विकास, सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने, स्नातक कोर्सों तथा नए पॉलीटेक्नीक के आधुनिकीकरण और निर्माण, महिलाओं के लिए सरकारी पॉलीटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **महिला और बाल कल्याण:** इसमें वृद्ध तथा निराश्रित लोगों के लिए सरकारी भवनों के नवीकरण/परिवर्धन/निर्माण, घर छोड़ कर भागे जोड़ों के लिए संरक्षण केन्द्र, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए क्रेच, चंडीगढ़ बाल एवं महिला कल्याण निगम को शेयर पूंजी में अंशदान, केंद्रीय प्रायोजित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए बराबर का अंशदान, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए संघ राज्य क्षेत्र आयोग की स्थापना, सरकारी भवनों तथा लड़कियों के लिए बाल गृहों के निर्माण/नवीकरण/परिवर्धन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **कला, संस्कृति और संग्रहालय:** इसमें शासकीय कला महाविद्यालय के निर्माण और नवीकरण, प्रशासनिक ब्लॉक, अंतरराष्ट्रीय हास्टल, सेक्टर-15, आर्टोरीयम, सभी चारों विधाओं के कंप्यूटरीकरण तथा कार्यालय मशीनरी, उपकरण तथा भण्डार एवं फर्नीचर की अन्य मदों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **खादी और ग्रामीण उद्योग:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

- 3.09. **सड़क और परिवहन:** इसमें नई बसों की खरीद, खराब हुई बसों को बदलने तथा बस स्टैंड के उन्नयन, चंडीगढ़ ट्रासपोर्ट अन्डरटेकिंग के कंप्यूटरीकरण, लिंक रोड के निर्माण, इन्टरसिटी परिवहन के लिए वीडियो कोच बसों की खरीद के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.10. **सरकारी आवासन:** इसमें आवासीय एवं गैर-आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण/नवीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.11. **शहरी विकास:** इसमें भूमि अधिग्रहण एवं सर्वेक्षण, शहरी सड़कों निर्माण/अवसंरचना संबंधी विकास, स्टोर्म वाटर ड्रेनेज, विद्युतीकरण, आईटी पार्क, सिविल कार्यों, मशीन एवं उपकरण, अन्य पूंजीगत व्यय, अनुसंधान कार्यों, सुखना झील पर बांध, चौबीस घंटे पानी की आपूर्ति आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.12. **दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण:** इसमें राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांगता अधिनियम/कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांग व्यक्तियों को पेट्रोल एवं डीजल पर सब्सिडी, दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, (एनपीआरपीडी) दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.13. **अन्य योजनाएं:** इसमें कार्यालय भवनों की मरम्मत और रखरखाव, विरासत भवनों के परिरक्षण, पुनरुत्थान और उन पर रोशनी, उत्तम यातायात प्रबंधन प्रणाली, सड़कों, एलईडी लाईटिंग, अंडर पास, जलापूर्ति, जल निकासी तथा स्टार्म वाटर ड्रेनेज, आईटी पार्क को आवश्यक सेवाएं, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, चुनावों, अन्य, राजकोषीय सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्र का पूरक:** इसमें विद्यालयों और आंगनवाडियों में दोपहर के भोजन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।
5. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें नगर निगम, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों, पंजाब अभियांत्रिकी और अन्य अनुदानग्राही निकायों जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेअंत सिंह मेमोरियल तथा गैर-सरकारी संगठन, रेड क्रॉस, पाक कला संस्थान, बाल कल्याण परिषद और दिल्ली वित्तीय निगम और पूरे चंडीगढ़ शहर में चौबीस घंटे पानी की आपूर्ति इत्यादि के लिए सहायता अनुदान शामिल हैं।